न्यायालय उप जिला कलक्टर नादौती जिला करौली

मुकदमा नं० [illegible]

तारीख रजू 19/9/19

उनवान रामकिशन वगै० बनाम गोविन्द सहाय वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
तहत धारा 151 सी.पी.सी

दिनांक	फर्द अहकाम	
19/9/19	पत्रावली पेश हुई। सायलान की ओर से अधिवक्ता श्री जैल सिंह बरनी एडवोकेट हाजिर सायल अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा सायलान् के पक्ष में अन्तरिम स्थगन पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम स्थगन के बिन्दु पर वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर एवं प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर प्राईमा फेसी केस सायलान के पक्ष मे होना प्रतीत होता है। अतः सायलान के कथनानुसार प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को जरिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी से पाबन्द किया जाता है कि आगामी पेशी दिनाक तक विवादग्रस्त आराजी हाल भूमि खसरा नम्बर 1377 / 2267 रकबा 0.10 हैक्टर, ख0न0 1378 रकबा 0.12 हैक्ट0 ख0न0 1379 रकबा 0.23 हैक्ट0 स्थित ग्राम चिरावडा तहसील नादौती मे सायलान के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की दखन्दाजी नही करे। रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस गैरसायलान को जारी होकर पत्रावली दिनाक 16/10/19 को पेश हो। उप जिला कलक्टर नादौती जिला करौली	
16/10/19	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली मतादेशानुसार दिनांक 20/11/19 को पेश हो।	

20/11/19 आज पत्रावली पेश हो। वकील फरीकेन [illegible] पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/11/19 को पेश हो।

27/11/19 आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से [illegible] पेश किया गया [illegible] पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/12/19 को पेश हो।

18/12/19 पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली दिनांक 1.1.20 [illegible] बहस [illegible] पेश हो।

1/1/20 आज पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3.1.20 को पेश हो।

3/1/20 आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार भी बाद तकमील नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो।

न्यायालय उप